

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 01/2021-22

आदेश की क्र०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी																		
1 22/3/22	आवेदक दशरथ चीक बड़ाईक, पिता स्व० सेवक चीक बड़ाईक, ग्राम बघिमा, जाति चीक बड़ाईक, थाना – पालकोट, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table><tr><th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th><th>जमीन किस्म</th></tr><tr><td>बघिमा</td><td>64</td><td>19</td><td>4437</td><td>0.02</td><td>टाड़</td></tr><tr><td>बघिमा</td><td>64</td><td>19</td><td>4438</td><td>0.26</td><td>टाड़</td></tr></table> कुल रकबा 0.28(अठाईस डसमील) प्लॉट सं० 4437 का चौहदी :- उत्तर में – टांड लुकस टोपनो दक्षिण में – टांड जितबहान चीक बड़ाईक, पुरब में – नीज विक्रेता पश्चिम में – कच्चा रोड़। प्लॉट सं० 4438 का चौहदी :- उत्तर में – टांड लुकस टोपनो दक्षिण में – टांड जितबहान चीक बड़ाईक, पुरब में – बचन चीक बड़ाईक पश्चिम में – नीज विक्रेता। जमीन विक्रेता का विवरणी दशरथ चीक बड़ाईक, पिता स्व० सेवक चीक बड़ाईक, ग्राम बघिमा, जाति चीक बड़ाईक, थाना – पालकोट, जिला– गुमला जमीन केता का विवरणी (1) मनी देव चीक बड़ाईक पिता श्री दिलभंजन चीक बड़ाईक जाति चीक बड़ाईक, ग्राम बघिमा थाना – पालकोट, जिला– गुमला । (2) दिनेश चीक बड़ाईक पिता श्री बचन चीक बड़ाईक, जाति चीक बड़ाईक, ग्राम बघिमा थाना पालकोट, जिला गुमला।	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म	बघिमा	64	19	4437	0.02	टाड़	बघिमा	64	19	4438	0.26	टाड़	
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म															
बघिमा	64	19	4437	0.02	टाड़															
बघिमा	64	19	4438	0.26	टाड़															



आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता (1) मनी देवें चीक बड़ाईक पिता श्री दिलभंजन चीक बड़ाईक जाति चीक बड़ाईक, ग्राम बघिमा थाना - पालकोट, जिला- गुमला एवं (2) दिनेश चीक बड़ाईक पिता श्री बचन चीक बड़ाईक, जाति चीक बड़ाईक, ग्राम बघिमा थाना पालकोट, जिला गुमला को राशि रुपये 84,000 (चौरासी हजार) रुपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हर बैल खरीदने हेतु रुपये की आवश्यकता है। रुपये आने का अन्य कोई श्रोत नहीं होने के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचलाधिकारी, पालकोट को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, पालकोट के कार्यालय के पत्रांक 155(ii) दिनांक 14/03/2022 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुषंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति चीक बड़ाईक के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, पालकोट के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त विवरण की भूमि को आवेदक दशरथ चीक बड़ाईक, पिता स्व० सेवक चीक बड़ाईक, ग्राम बघिमा, जाति चीक बड़ाईक, थाना - पालकोट, जिला- गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)




भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)